भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2483
सोमवार, 18 दिसंबर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक)

उत्पादक रोजगार

2483. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कार्रवाई शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बेरोजगारी दर में वृद्धि के कारणों का विश्लेषण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्पादक रोजगार की कम दर के कारण क्या है;

(घ) क्या सरकार पर्याप्त स्तर के कौशल निर्माण और प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम लागू करने का प्रस्ताव रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में बेरोजगारी की बढ़ती दर के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(च) पिछले दस वर्षों के दौरान देश में बेरोजगारी वृद्धि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार ने पुरुषों और महिलाओं के वेतन में असमानता को हल करने के लिए कार्रवाई शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (छ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से, रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। पीएलएफएस से पहले, वर्ष 2010-11 से वर्ष 2016-17 तक श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण (ईयूएस) करवाया जाता था। इन सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार, देश में पिछले दस वर्षों के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर (यूआर) और कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) निम्नानुसार हैः

वर्ष	यूआर (% में)	डब्ल्यूपीआर (% में)
ईयूएस, श्रम ब्यूरो		
2012-13	4.0	51.0
2013-14	3.4	53.7
2015-16	3.7	50.5
2016-17	3.9	50.7

पीएलएफएस, एमओएसपीआई		
2017-18	6.0	46.8
2018-19	5.8	47.3
2019-20	4.8	50.9
2020-21	4.2	52.6
2021-22	4.1	52.9
2022-23	3.2	56.0

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई और श्रम ब्यूरो

दोनों सर्वेक्षणों अर्थात पीएलएफएस और श्रम ब्यूरो की अलग-अलग नमूना पद्धति और कवरेज होने के कारण इनके परिणाम तुलनीय नहीं हैं। पीएलएफएस, मौसमी श्रम बल को कवर करता है क्योंकि यह जुलाई से अगले वर्ष जून (अर्थात् पूरे वर्ष) तक की अवधि के दौरान आयोजित किया जाता है जबकि श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में फील्ड कार्य 7 से 9 महीने तक होता है और इसलिए इसमें मौसमी श्रम बल को पूर्णतः कवर नहीं किया गया था। इसके साथ-साथ, इन दोनों सर्वेक्षणों के बीच कई अन्य पद्धतिगत अंतर भी हैं।

पीएलएफएस आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में बेरोजगारी दर में गिरावट का रुख है और रोजगार में वृद्धि की प्रवृत्ति है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश भर में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

ढांचागत और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष, 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में की गई यह पर्याप्त वृद्धि, सरकार के प्रयासों का केंद्र बिन्दु है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार द्वारा सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए, इस पैकेज में विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों के सृजन तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के तहत, योजना के आरंभ से लेकर दिनांक 12.11.2023 तक, 60.48 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार, दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। इस योजना के तहत, दिनांक 22.11.2023 तक, 78.08 लाख ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को शुरु से आखिर तक सहायता प्रदान करने के लिए, दिनांक 17 सितंबर, 2023 को, पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य, अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले विश्वकर्माओं द्वारा पारंपरिक कौशल की गुरु-शिष्य परंपरा या परिवार-आधारित प्रैक्टिस को मजबूत और पोषित करना है। पीएम विश्वकर्मा का मुख्य फोकस कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों तथा सेवाओं की पहुंच के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हों।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के आरंभ से दिनांक 17.11.2023 तक 26.08 लाख करोड़ रुपए की राशि के 44.41 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

सरकार द्वारा, वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। इन पीएलआई योजनाओं से 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें, रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

डीएवाई-एनआरएलएम के तहत ग्रामीण युवाओं के लिए दो कौशल विकास कार्यक्रम हैं, जिनके नाम हैः दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)। इन दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है, चाहे वह वेतन रोजगार हो या स्वरोजगार।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कौशल भारत मिशन के तहत, देश भर में युवाओं के कौशल आधारित प्रशिक्षण के लिए (अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) पाठ्यक्रमों और पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित युवाओं सहित) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमकेवीवाई के तहत, एसटीटी प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ है, जबकि आरपीएल प्लेसमेंट को अनिवार्य नहीं करता है क्योंकि यह उम्मीदवार के मौजूदा कौशल को पहचानता है। दिनांक 04.11.2023 तक, 24.38 लाख उम्मीदवारों को योजना के तहत नियोजित किया गया है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रम आदि भी देश में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

वेतन संहिता, 2019 में प्रावधान हैं कि समान नियोक्ता द्वारा वेतन से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय पर लागू किसी भी कानून के तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो, उस स्थिति में किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

*****